पत्रांक :– 3/यो01–11/2025 (उ0शि0) ......112/बजट......./

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक ......12/08/2025......./

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना (Jharkhand State Higher Education Award Scheme) के कियान्वयन के निमित Web Portal के विकास हेतु प्रथम किस्त के रूप में राशि रू0 14,89,975/– (चौदह लाख नवासी हजार नौ सौ पचहत्तर रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय संकल्प ज्ञापांक 355 दिनांक 22.02.2025

आदेश :– स्वीकृत।

उच्च और तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने एवं सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

इसी कम में राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से "झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना (Jharkhand State Higher Education Award Scheme)" लागू किया जाना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने से उन्हें विशिष्ट पहचान मिलेगी, जिससे बेहतर कार्य करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु वे प्रेरित होंगे। तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 355 दिनांक 22.02.2025 के आलोक में "झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना (Jharkhand State Higher Education Award Scheme)" लागू किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BU- झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद हेतु सहायता अनुदान, लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र का बजट उपबंध है।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 355 दिनांक 22.02.2025 के आलोक में दिनांक 01.07.2025 को सम्पन्न हुये झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक के एजेन्डा नं0– 3 II के उप कंडिका– B के आलोक में झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना (Jharkhand State Higher Education Award Scheme) के कियान्वयन के निमित Web Portal के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम किस्त के रूप में रू0 14,89,975/– (चौदह लाख नवासी हजार नौ सौ पचहत्तर रूपये) मात्र उपलब्ध कराये जाने पर निर्णय लिया गया है।

4. उपर्युक्त कंडिका–3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना (Jharkhand State Higher Education Award Scheme) के कियान्वयन के निमित Web Portal के विकास हेतु राशि प्रथम किस्त के रूप में रू0 14,89,975/– (चौदह लाख नवासी हजार नौ सौ पचहत्तर रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष– "मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, उपशीर्ष– BU- झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद हेतु सहायता अनुदान, लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 79– सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (विपत्र कोड– 21S220203102BU000679) (स्कीम कोड–2172) के अंतर्गत होगा।"

6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.23 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

7. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
–	–	–

9. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के कार्यपालक निदेशक को उपलब्ध करायेंगे एवं कार्यपालक निदेशक उक्त राशि को चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

10. झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के कार्यपालक निदेशक द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी करते हुये Jharkhand Space Application Centre (JSAC) को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. उक्त योजना का कियान्वयन तथा अनुश्रवण झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा।

12. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण / वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

15. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

17. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

12/8/25

(जोर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो01–11 / 2025 (उ0शि0) 112/ बजट / राँची, दिनांक– 12/08/2025

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/8/25

(जोर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो01–11 / 2025 (उ0शि0) 112/ बजट / राँची, दिनांक– 12/08/2025

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव / कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची / प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा) / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग / नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/8/25

(जोर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।